केन्द्रीय परीक्षा समिति

राजस्व पर्षद, बिहार।

संoसंo– 2/24–02/2013-714

पटना, दिनांक-09-06-2014

शुद्धि पत्र

दिनांक– 12.06.2013 से 15.06.2013 तक आयोजित राजपत्रित पदाधिकारियों की द्वितीय अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा, 2012 के पर्षदीय पत्रांक–370, दिनांक–19.03.2014 द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल में निम्नांकित संशोधन किया जाता हैः–

उपलेखा नियंत्रक सेवा

श्री शिवभूषण शर्मा, रौल नंo–120222011 उपलेखा नियत्रंक वित्त अंकेक्षण विभाग, पटना प्रमंडल, पटना को विषय लेखा भाग–I (पुस्तक रहित) में पूर्व में निम्न स्तर से उत्तीर्ण घोषित में संशोधन कर इन्हें उक्त विषय में उच्च स्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है।

2. श्री नरेश चौधरी (अनुसूचित जाति) रौल नंo–1202220009 प्रभारी उपलेखा नियंत्रक, वित्त अंकेक्षण विभाग, मगध प्रमंडल, गया को लेखाभाग–2 (पुस्तक रहित) विषय में पूर्व में निम्न स्तर से उत्तीर्ण घोषित किया गया था। अब इनके परीक्षाफल में संशोधन कर इन्हें उक्त विषय में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है।

3. श्री श्याम कुमार झा, रौल नंo– 1202220012, उपलेखा नियंत्रक, वित्त अंकेक्षण विभाग, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को पूर्व में बजट एवं संविधान विषय में उच्च स्तर से उत्तीर्ण किया गया था। अब इनके परीक्षाफल में संशोधन कर उक्त विषय में इन्हें निम्न स्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है।

4. श्री विश्वनाथ प्रसाद, (अनुसूचित जाति) उपलेखा नियंत्रक, वित्त अंकेक्षण विभाग, पटना प्रमंडल, पटना रौल नंo–1202220013 को लेखा भाग–3 विषय में पूर्व में निम्न स्तर से उत्तीर्ण घोषित किया गया था। लेखा भाग–3 की परीक्षा नहीं होती है, इसलिए इनके इस विषय के परीक्षाफल को विलोपित किया जाता है। साथ ही ऑडिट एवं अंकाउन्टस विषय में पूर्व प्रकाशित निम्न स्तर से उत्तीर्ण में संशोधन कर इन्हें उच्च स्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है।

भारतीय पुलिस सेवा

श्री सुधीर कुमार पोरिका (भा०पु०से०), (अनुसूचित जन जाति), रौल नं०–1202030007 को विधि भाग– I विषय में पूर्व में प्रकाशित परीक्षाफल में अनुतीर्ण घोषित किया गया था। अब इन्हें विधि भाग– I पत्र में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है।

पर्षदीय पत्रांक– 370 दिनांक– 19.03.2014 द्वारा प्रकाशित शेष परीक्षाफल यथावत् रहेगा।

संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/ सचिव कृपया यह सुनिश्चित करेंगे कि राजस्व पर्षदीय पत्रांक– 370 दिनांक– 19.03.2014 द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल के आधार पर यदि उपरोक्त परीक्षार्थियों को परीक्षाफल के फलाफल का परिणाम/ लाभ प्राप्त हो चुका हो तो इस शुद्धि–पत्र के आलोक में संबंधित परीक्षार्थियों को प्राप्त परिणाम/ लाभ में आवश्यक संशोधन करने की कृपा करेंगे।

केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद,
बिहार के आदेशानुसार
ह0/–
सचिव
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 2/24–02/2013–714 **पटना, दिनांकः–** 09-06-2014

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/ प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार/ अवर सचिव, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग बिहार,/ महालेखाकार बिहार, पटना/ श्री शिवभूषण शर्मा, उप लेखा नियंत्रक, वित्त अंकेक्षण विभाग, पटना प्रमंडल, पटना/ श्री नरेश चौधरी, प्रभारी उप लेखा नियंत्रक वित्त अंकेक्षण विभाग, मगध प्रमंडल, गया/ श्री श्याम कुमार झा, उपलेखा नियंत्रक वित्त अंकेक्षण विभाग, पटना प्रमंडल, पटना/ श्री सुधीर कुमार पोरिका (भा०पु०से०), पुलिस अधीक्षक, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

9/6

सचिव
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

09/6/14